विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
4 (क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत वार्ड समितियों के गठन से संबंधित प्रावधान के लागू न होने से जनभागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है?	जी नहीं।
(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त प्रावधान को यथाशीघ्र लागू करायेंगे?	उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 में वार्ड समितियों के गठन का कोई प्राविधान नहीं है। वार्ड समितियों के गठन का प्राविधान उन राज्यों में है जहाँ ग्राम पंचायतों का आकार बहुत बड़ा है तथा ग्राम पंचायत वार्ड भी काफी बड़े आकार के हैं। इस कारण प्रदेश में वार्ड समितियों के गठन की कोई योजना नहीं है।
(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

ओम प्रकाश राजभर

मंत्री,

पंचायती राज विभाग।